फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री पूनम सिंह पुत्र श्री डूंगर सिंह नि. गांव आंजना पो. देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार तहसीलदार देवगढ़ – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 14/2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 13.03.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से जरिये पृष्ठांकित अपीलार्थी क्रमांक :– सूकाअ/38/2023/37 दिनांक 04.03.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी द्वारा ऐसा आवेदन पूर्व में कार्यालय हाजा में उक्त अधिनियम के तहत किया गया था एवं उस आवेदन कि प्रथम अपील श्रीमान के कार्यालय में अपील संख्या 79/2023 के माध्यम से किया गया है जिसके प्रत्युत्तर में प्रार्थी को सूचना कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक सूकाअ/38/2023/221 दिनांक 21.12.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गयी थी अपील संख्या 09/2023 का श्रीमान न्यायालय से दिनांक 08.01.2024 को निर्णय किया गया। जो श्रीमान् पत्रांक प.08कोर्ट/अ.सू.अधि.,05/79/2023/97–98 दिनांक 22 जनवरी 2024 द्वारा दिनांक 30.01.2024 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा पुनः उसी आवेदन की प्रथम अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कि जिसके अपील क्रमांक 14/2024 है। जिसके संबंध में पूर्व में कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक सूकाअ/38/2023/221 दिनांक 21.12.2023 एवं श्रीमान के न्यायालय से पूर्व लिखित पत्रांक द्वारा निर्णय किया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को पूर्व में कार्यालय हाजा देवगढ़ के पत्र क्रमांक सूकाअ/38/2023/221 दिनांक 21.12.2023 से भिजवा दी जाने से उक्त अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** Bullro लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)